महत्वपूर्ण

संख्या–1186/30–4–2010–25पी/77

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(2)समस्त पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग–4 | लखनऊःदिनांक 16 अगस्त,2010

विषय–वाहनों पर लाल/नीली बत्ती तथा हूटर/सायरन आदि के अनधिकृत उपयोग को रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

वाहनों पर नियमों के विपरीत लाल/नीली बत्ती, हूटर/सायरन, वाहनों की खिड़कियों के ग्लास पर चमकदार काली अपारदर्शी फिल्म चिपकाए जाने और बोर्ड्स/प्लेट्स का उपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1218/30–4–2006–25पी/77, दिनांक 11.07.2006, संख्या–1219/ 30–4–2006–25पी/77, दिनांक 11.07.2006, संख्या–1453 /30 –4– 2006– 25पी/77, दिनांक 25.08.2006,संख्या–1504/30–4–2006–25पी/77, दिनांक 31.08.2006 एवं संख्या–1505/30– 4 –2006–25पी/77, दिनांक 31.08.2006 का कृपया, सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वाहनों पर लाल/नीली बत्ती तथा हूटर/सायरन आदि का अनधिकृत उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। रिट याचिका संख्या–3648(एम/बी)/2006 में पारित आदेश, दिनांक 23 जून,2006, में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लाल/नीली बत्ती तथा हूटर/सायरन आदि के प्रयोग, वाहनों के सेफ्टी ग्लास पर फिल्म चिपकाए जाने तथा वाहनों पर बोर्ड्स/प्लेट्स लगाए जाने आदि के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम,1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

3– उल्लेखनीय है कि शासन की अधिसूचना संख्या–1772/30–4–2007–25पी/77, दिनांक 23 अगस्त,2007 एवं तत्क्रम में जारी अधिसूचना संख्या–1397/30–4–2008–25पी/77, दिनांक 04 जुलाई,2008, अधिसूचना संख्या–2008/30–4–2008–25पी/77, दिनांक 15 अक्टूबर,2008 एवं अधिसूचना संख्या–1462/30–4– 2010–25पी/77, दिनांक 22 जुलाई,2010 द्वारा गणमान्य व्यक्तियों और पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट करते हुए उनको ले जा रहे यान पर, जब वे प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हों, लाल /नीली बत्ती के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की गयी है तथा किन वाहनों में हूटर/सायरन का उपयोग किया जाएगा इसकी भी स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है। उसके बावजूद

भी शासन के संज्ञान में यह तथ्य निरन्तर आ रहा है कि वाहनों पर नियमों के विपरीत लाल/नीली बत्ती, हूटर/सायरन, वाहनों की खिड़कियों के ग्लास पर चमकदार काली अपारदर्शी फिल्म चिपकाए जाने और बोर्ड/प्लेट्स का अनधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है।

4– अतः, शासन के उपरिसन्दर्भित शासनादेशों में दिए गए निदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वाहनों पर अनधिकृत रूप से उपरोक्तानुसार उपयोग की जा रही सामग्री/उपकरणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने का तथा कृतकार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने कष्ट करें।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1186(1)/30–4–2010:तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया, उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से समुचित निर्देश जारी करें तथा प्रभावी अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें।

(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवानन्द ओझा)
विशेष सचिव।